(194)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 148—दो/2006 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 27—10—2005 के द्वारा अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 219/1999—2000/निगरानी

.....

मतादीन पुत्र शिवचरन
निवासी—टुडीला, तहसील जौरा,
जिला—मुरैना

.....आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन

.....अनावेदक

.....

श्री आर0एस0 सेंगर, अभिभाषक, आवेदक
श्री राजीव गौतम, शासकीय अभिभाषक, अनावेदक

.....

आदेश

(आज दिनांक 20.9.2016 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 219/1999—2000/अपील में पारित आदेश दिनांक 27—10—2005 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में यह है कि आबेदक ने न्यायालय नायब तहसीलदार जौरा के समक्ष दिनांक 24—02—87 को इस आशय का आवेदन—पत्र प्रस्तुत किया कि ग्राम टुडिला तहसील जौरा जिला—मुरैना स्थित विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 405 रकबा 6 विस्वा में से रकबा 1 बीघा 5 विस्वा व 401 रकबा 2 बीघा 12 विस्वा में से रकबा 6 विस्वा पर 15 वर्ष से आधिपत्य चला आ रहा है । प्रश्नाधीन भूमि अनुविभागीय अधिकारी, जौरा के प्रकरण क्रमांक 27/85—86/अ—59 में पारित आदेश दिनांक 17.09.86 द्वारा काबिल काश्त घोषित की गई

है। इस प्रकार उक्त भूमि का पट्टा दिये जाने का का अनुरोध किया । नायब तहसीलदार जौरा के न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 16/87–88/अ–19 पंजीबद्ध किया गया तथा दिनांक 31.08.1988 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि आवेदक के नाम भूमि स्वामी स्वत्व पर व्यवस्थापित करने का आदेश दिया। अनावेदक द्वारा नायब तहसीलदार, जौरा के प्रकरण क्रमांक 16/87–88/अ–19 में पारित आदेश दिनांक 31.08.88 की जांच डिप्टी कलेक्टर, मुरैना से कराई गई । जांच के दौरान प्रकरण में अनियमिततायें पाई जाने के कारण कलेक्टर, मुरैना ने प्रकरण को संहिता की धारा 50 के अंतर्गत स्वमेव निगरानी में लेकर कार्यवाही प्रारंभ की तथा अपने आदेश दिनांक 10.04.2000 से नायब तहसीलदार, जौरा के द्वारा पारित आदेश निरस्त कर दिया । इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की जो प्रकरण क्रमांक 219/1999–00/निगरानी में दर्ज होकर आदेश दिनांक 27.10.2005 को विधि संगत न मानते हुये निरस्त किया गया । अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना के द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.10.2005 से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि आवेदक के पक्ष में विवादित सर्वे नम्बर आवेदक के स्वत्व स्वामित्व व आधिपत्य की है एवं राजस्व कागजादो में भूमिस्वामी के नाम से दर्ज है । नायब तहसीलदार जौरा द्वारा सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये आवेदक के पक्ष में विधिवत कार्यवाही करते हुये पट्टा प्रदान किया गया था । कलेक्टर न्यायालय, मुरैना को स्वमेव निगरानी में प्रकरण को लिये जाने के लिये अत्यंत सीमित अधिकार है । आवेदक पट्टे दिनांक के पूर्व से ही उक्त भूमि को जोत बखर कर कृषि योग्य बनाकर कृषि कार्य करता चला आ रहा है । किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इन सब बातों को अनदेखा कर विवादित आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय योग्य है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किया जावे ।

4/ अनावेदक के अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय के प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण कर आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी को खारिज किया जाने का निवेदन किया गया है ।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीस्थ न्यायालय के अभिलेखों का भलीभांति परिशीलन किया गया। नायब तहसीलदार जौरा के आदेश दिनांक 31.08.88 के विरूद्ध कलेक्टर, मुरैना ने प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेकर दिनांक 10.04.2000 को आदेश पारित कर दिया । विचारण न्यायालय के प्रकरण में संलग्न नकल खसरा सम्बत 2041 से 2045 तक के अवलोकन से पाया जाता है कि प्रश्नाधीन भूमि काबिल काश्त न होकर चरनोई एवं आवी गैरमुमकिन भूमि थी । जब तक चरनोई भूमि की नोईयत बदल कर उसे सक्षम अधिकारी द्वारा काबिल काश्त घोषित न कराई जाये, तब तक ऐसी भूमि का बन्टन/व्यवस्थापन नहीं किया जा सकता है । इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रश्नाधीन भूमियों की नोईयत बदलकर चरनोई से काबिल काश्त घोषित की गई है । निस्तार पत्रक में किसी विशेष प्रयोजन के लिये पृथक से रखी गई भूमि का परिवर्तन मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 237(2) के अंतर्गत कलेक्टर की मंजूरी से ही किया जा सकता है। अनुविभागीय अधिकारी को यह अधिकार नहीं है कि वह बिना कलेक्टर की मंजूरी के चरनोई भूमि को काबिल काश्त से प्रत्यावर्तित कर दे । इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत 1995 रा.नि. 27 में फूलमती विरूद्ध रामेश्वर में अभिनिर्धारित किया गया है कि आदेश कूट रचना व छल से अथवा कपट पूर्वक प्राप्त किये जाने की सम्भाव्यता होने पर स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण शक्तिततयों के प्रयोग में परिसीमा का वर्जन नहीं है । इसी आधार पर कलेक्टर, मुरैना ने नायब तहसीलदार जौरा के आदेश को अपास्त किया है और अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना ने अपने आदेश में कलेक्टर, मुरैना के द्वारा पारित आदेश को स्थिर रखने में कोई त्रुटि नहीं की है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष में पहूँचा हूँ कि कलेक्टर, मुरैना द्वारा पारित विचाराधीन आदेश दिनांक 10.04.2000 एवं अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.10.2005 विधिसंगत होने से स्थिर रखा जाता है । फलतः आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर